2633
2829

श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन– 210/26
हिलसा थाना काण्ड सं0– 45/26

हरेन्द्र कुमार उर्फ हलेन्द्र कुमार.....आवेदक
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

18/04/2026 आवेदक (1) हरेन्द्र कुमार उर्फ हलेन्द्र कुमार पिता सकलदीप पासवान, उम्र 19 वर्ष, साकिन– ब्रह्मस्थान, थाना हिलसा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्यदेव कुमार विभूति द्वारा संचालित किया गया। आवेदक हिलसा थाना कांड सं0– 45/26, दिनांक 19/01/26 को भा0न्या0सं0 की धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 303(2), 352 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से पूर्व में न तो अग्रिम जमानत न ही नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में न ही किसी सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। विद्वान अधिवक्त का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है, कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत, बेबुनियाद वो सफेद झूठ है। उक्त वाद में जैसी बात कही गई हैं वैसी कोई घटना नहीं घटी है। पूर्व में खेल में विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आवेदक मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाला है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को इस मुकदमा से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदक धारा– 482(2) बी0एन0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक विशाल यादव द्वारा थाना में दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि दिनांक 19/01/2026 को सूचक अपने चचेरा भाई गुलशन कुमार यादव के साथ अपने मोटर साइकिल से पटना से ड्यिूटी कर अपने घर आ रहा था। तभी समय करीब 6 बजे शाम में पूर्व में भाई के साथ खेलने के विवाद को लेकर ब्रह्मस्थान स्कूल के पास पूर्व से घात लगाए बैठे सकलदीप पासवान, हलेन्द्र कुमार सत्य कुमार, प्रेम कुमार एवं चार अज्ञात सभी मिलकर सूचक के गाड़ी रोक कर गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर हलेन्द्र और सकलदीप अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से सूचक और भाई गुलशन के सर पर बार–बार मारा, जिससे सर फट गया तथा सूचक के भाई का भी सर फट गया। सकलदीप, हलेन्द्र और सत्या सूचक के पास से 35,500/– रु0, सोने का बजरंगवली का लॉकेट, दो मोबाईल और घड़ी लेकर भाग गए। आस–पास के आदमी तथा घर के आदमी आकर सूचक को अनुमंडलीय अस्पताल में लाया जहॉ से एन0एम0सी0एस0 पटना के लिए भेज दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उसके भाई के साथ लोहे के रॉड से मारपीट करने एवं सर पर बार–बार मारकर

अग्रिम जमानत आवेदन– 210/26
हिलसा थाना काण्ड सं0– 45/26

जख्मी कर देने का आरोप लगाया गया है तथा 35,500/– रु0 मोबाइल एवं सोने का लॉकेट भी छीनने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 12, 13, 14, 28 एवं 29 का अवलोकन किया, जिसमें स्वतंत्र साक्षी तथा जख्मी साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न जख्मी गुलशन कुमार एवं जख्मी विशाल कुमार के जख्म पत्र का अवलोकन किया। दोनों जख्मियों के सर पर जख्मों की पुनरावृत्ति है, जो सभी **Lacereted Wound** एवं **Abrasion** का भी जख्म है जो वादी एवं जख्मी साक्षियों के बयान को समर्थित करते हैं। एक जख्मी को इलाज हेतु उच्च चिकित्सीय संस्थान एन0एम0सी0एच0 पटना भेजा गया है। आवेदक हरेन्द्र कुमार उर्फ हलेन्द्र कुमार पर मारने का विशिष्ट आरोप है तथा काण्ड अभी अनुसंधान के क्रम में है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत को खारिज किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

श्री दीपक कुमार यादव
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)